राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
कैलाश नाथ काटजू, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)
Ph- : 07422–297178 (O) 07422–297178 (Fax)

//निविदा सूचना//

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर प्रक्षेत्र पर लगें अमरुद, आँवला, संतरा, नींबू, बेर एवं बेल फसल वर्ष 2023–24 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक खरीददार अपने–अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के कार्यालय में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर द्वारा गठित समिति के समक्ष नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने–अपने भाव पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 20/09/2023 को अपराहंत 02:00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 20/09/2023 को 03:00 बजे बाद अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर द्वारा गठित समिति के सामने खोले जावेगें। जिसकी शर्ते निम्न होगीः–

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को अमरूद बगीचा फसल के लिये रू. 75000/–, आँवला बगीचा फसल के लिए रू. 75000/– नींबू फसल के लिये 5000/– संतरा बगीचा फसल के लिये रू. 15000/– बेर बगीचा फसल के लिये रू. 5000/– एवं बेल बगीचा फसल के लिये रू. 5000/– अमानत राशि के रूप में नगद जमा कराना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने के बाद वापस कर दी जावेगी। फल फसल विशेष के लिए जमा किए गये टेण्डर को तभी सम्मेलित किया जावेगा जब उस फसल विशेष की अमानत राशि उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 को अपराहंत 02:00 बजे तक जमा कर दी जावेगी।
2. नीलामी प्राप्तकर्ता को तीन दिवस में नीलामी स्वीकृति की सम्पूर्ण राशि जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता हैं तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा करनी होगी। नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करने के बाद ही फलों की तुड़ाई अनुमति पश्चात प्रारंभ होगी। अगर उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय में स्वीकृत सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी जमा धरोहर राशि राजसात कर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर राशि प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर पर क्रय करने का अवसर होगा।
3. फसल की चौकीदारी रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। फल तुडाई एवं अन्य कार्य मे लगे श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. नीलामी के पश्चात् फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान, पाला, रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
5. नीलामीप्राप्तकर्ता को बिजली जलाने के लिये अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा फलों की कतारों के बीच में लगी फसल को कोई नुकसान नही पहुचाया जावेगा तथा फलवृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाएगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता फल प्रक्षेत्र पर किसी तरह के जानवरों को नही रख सकेगा साथ ही घास आदि नहीं काट सकेगा उसका अधिकार सिर्फ नीलामी वाले फलों पर ही रहेगा ।
8. नीलामीप्राप्तकर्ता फल वृक्षों पर किसी प्रकार की कोई दवाई आदि, महाविद्यालय की बिना अनुमति के नही डालेगा। साथ ही फल वृक्षों की शाखाओं को सहारा देने का कार्य स्वयं नीलामी प्राप्तकर्ता को करना होगा।
9. छात्रो द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये प्रयुक्त वृक्षों के फल नियमानुसार ही तोड़े जायेगें व ठेका मालिक को इसकी पूर्व जानकारी दी जायेगी। अनुसंधान के उद्देश्य से अमरुद फल बगीचो में बंधी गुटीयों को विद्यार्थीयों / मजदूरों द्वारा काटा जावेगा।

10. जल उपलब्धता अनुसार फल बगीचों में सिंचाई की जावेगी (अधिकतम तीन सिंचाई)।
11. विभाग के स्नातकोत्तर विधार्थीयो द्वारा अनुसंधान / शोध परीक्षणो हेतु चयनित फल वृक्षो से फल तुडाई पूर्व विभाग प्रमुख/चेयरमेन /विधार्थी को एक दिन पूर्व सूचित किया जाना होगा।
12. नीलामी प्राप्तकर्ता विद्यालयीन विद्यार्थीयों के साथ अभ्रद व्यवहार नही कर सकता एवं किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विभाग प्रमुख/अधिष्ठाता से बातचीत की जावेगी। विद्यार्थीयों से किसी भी प्रकार का विवाद करने पर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा आवाजाही महाविद्यालय के मुख्य द्वार से ही की जावेगी एवं परिसर में वाहनो की गती नियंत्रित रखी जावेगी। परिसर में किसी भी प्रकार का तेज शोर–शराबा एवं किसी भी प्रकार की नशेली सामाग्री के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
14. नीलामी प्राप्तकर्ता फलो की तुडाई फल फसल अनुसार निम्नलिखित दिनांक तक कर सकेगा । अमरुद – 15.03.2024, ऑवला –31.01.2024 संतरा – 31.12.2023, नीबू–31.03.2024 बेर 31.03.2024 ,बेल 31.05.2024
15. अमरुद, आँवला, संतरा, नींबू, बेर एवं बेल फसल बगीचे का नीलामी हेतु अवलोकन (देखने का कार्य) खरीददार कार्यालयीन समय में स्वयं आकर कर सकतें है।
16. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
17. अमरूद एवं नींबू की कलम काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कोर्ड/फोटो परिचय पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
19. समिति द्वारा अधिकतम बोली हेतु निगोशएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग–अलग की जा सकेगी। अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर का होगा।
20. नगद पैसा या डी.डी. बैंक के माध्यम से नियमानुसार निर्देशानुसार बताये बैंक खाते में जमा करना होगा।
21. निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करेगें। इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
22. नीलामी से संबन्धित सर्वाधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के पास सुरक्षित रहेगें।

5/9/23

अधिष्ठाता
उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर

अधिष्ठाता
उद्यानिकी महाविद्यालय
मन्दसौर (म.प्र.)